

क्रमांक 12/44/84-4 जी. एस.-II

दिनांक : 5 जनवरी, 1995

## प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष, अम्बाल, हिसार, गुडगांव तथा रोहतक के आयुक्त, सभी उपायुक्त एवं उप-मण्डल अधिकारी (सिविल) हरियाणा।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।

**विषय :-** राज्य में भूतपूर्व सैनिकों के लिए श्रेणी-III तथा श्रेणी-IV के पदों में आरक्षण अवधि।

## महोदय

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 12/44/84-2 जी.एस.-II दिनांक 8 जनवरी 1990 की ओर दिलाऊं और कहूं कि हरियाणा सरकार ने श्रेणी-III तथा श्रेणी-IV से पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की अवधि दिनांक 30 जून 1994 से आगे पांच वर्ष तक अर्थात् दिनांक 30 जून 1999 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। अतः सभी विभागों में श्रेणी-III व IV के पदों को सरकार के आदेशा-नुसार भरने हेतु दिनांक 30 जून 1999 तक आरक्षण जारी रहेगा।

2. कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदोय,

आर. डी. गुगनानी  
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।